सहायता

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 186/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 528 दिनांक 09.09.2025 एवं 556 दिनांक 10.10.2025 के आधार पर पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सराड़ा के 02 कार्य हेतु राशि रूपये 1.50 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. सलूम्बर के 123 कार्य हेतु राशि रूपये 197.55 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. सराड़ा के 58 कार्य हेतु राशि रूपये 106.50 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. जयसमंद के 55 कार्य हेतु राशि रूपये 93.37 लाख एवं सानिवि जिला खण्ड, सेमारी तह. सेमारी के 51 कार्य हेतु राशि रूपये 102.80 लाख **कुल 289 कार्यों हेतु राशि रूपयें 501.72 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ एक लाख बहत्तर हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश कमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

आवक शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर
RR No. 889
Date 28/11/25
सलूम्बर (राज.)

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:42:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510233
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **सलूम्बर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सलूम्बर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में क्षति की दिनांक एवं वर्षा अंकित नहीं की गयी है, जिसके कारण सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   सानिवि जिला सलूम्बर तह. सलूम्बर के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र. सं. 02 में ओडीआर सड़क हेतु राशि 7.20 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त कार्य को कम करते हुए प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये है।

   सानिवि जिला खण्ड सेमारी तह. सेमारी के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.सं. 02 में ओडीआर सड़क हेतु राशि रूपयें 13.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव के शेष 51 कार्यो हेतु राशि रूपयें 102.80 लाख स्वीकृत किये गये है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सलूम्बर।

सहायता
6.11.25

शासन उप सचिव

आवक शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर
RR No. 13966
Date 14/11/25
सलूम्बर (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:42:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18510233
eSign 1.0

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्बर (राज.)

(आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

क्रमांकः एफ.05( )आ.प्र.सहा./SDRF/2026/105

प्रेषिति,

दिनांकः **As per E-sign**

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः मानसून सत्र–2025 में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की अस्थायी मरम्मत के कोषालय से आपत्ति उपरांत शेष रहे बिलों के भुगतान के लिए बजट उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जिला सलूम्बर में मानसून सत्र–2025 के दौरान अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के फलस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला सलूम्बर के अधीन क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थायी मरम्मत के कार्य संबंधित कार्यकारी एजेंसी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के माध्यम से कराए गए थे।

उक्त कार्यों के संबंध में संबंधित कार्याकारी एजेन्सी को भुगतान किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बिल तैयार कर कोषालय को प्रेषित किए गए थे, किन्तु परीक्षण के दौरान बिलों में कुछ आपत्तियाँ अंकित होने के कारण उनका भुगतान लंबित रह गया। वर्तमान में आवश्यक औपचारिकताएँ एवं आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है, तथापि बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। भुगतान से शेष रहे बिलों की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	विभाग का नाम	कार्यकारी एजेन्सी	बजट हेड	राशि
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला सलूम्बर	सार्वजनिक निमार्ण ठविभाग	2245–02–106–(02)–(01)–21	62,06,061/–

अतः श्रीमान् निवेदन है कि उक्त भुगतान से शेष रहे बिलों के बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक बजट राशि यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने का कष्ट करें, जिससे संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

(डॉ दिनेश राय सापेला)
अति.जिला कलक्टर
सलूम्बर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dinesh Rai Sapela
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :17-04-2026 03:22:38

RajKaj Ref No.: 21659791
eSign DSC